न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी श्री कलैश चन्द्र गुर्जर

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 53/2022

रतनलाल पिता बंशीलाल सुथार निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

बंशीलाल पिता गिरधारीलाल सुथार निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ
विपक्षी

अधिवक्ताः– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक ::–12.09.2023

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा ने वाद पत्र के साथ साथ एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा काटून्दा प0ह0 काटून्दा की निम्न कृषि आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी के पैत्रिक स्वामित्व एवं आधिपत्थ्य की है जो वर्तमान में विपक्षी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड प्रार्थी के पैत्रिक स्वामित्व की कृषि आराजीयात प्रार्थी के पिता विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड का विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा (हैक्टर में)
54	150	1.04
	155	0.52
	158	0.59
	163	0.83
	1983/154	0.77
	किता–5	3.75 हैक्टर
628	1900/986	0.04
	977	0.13
	979	0.10
	987	0.01
	988	0.21
	990	0.06
	991	
	किता–7	0.57 हैक्टर
478	114/14	0.48 हैक्टर
53	978	0.28
	980	0.45
	981	0.14
	984	0.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:52 IST
Reason: SelfAttested

630	256	0.08
	854	0.03
	किता–2	0.11

उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक अधिकार है एवं निहित हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि प्रार्थी व विपक्षी की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति है जो वर्तमान में विपक्षी क`नाम पर ही दर्ज है जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए विपक्षी द्वारा गॉव के कुछ अवारा लोगो को लेकर कृषि भूमि पर आया दिनांक 12.08.2022 को कृषि भूमि विक्रय की वार्ता करने की कहा ऐसा करने से मना करने पर कहा कि तो विपक्षी नहीं माना एवं प्रार्थी को धमकी दी कि मै उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि को खुर्द बुद करूगां व तुम लोगो के कोई भूमि शेष नहीं रखूंगा। इसलिए विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र लाने की आवश्यकता हुई है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करने से रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के हक हिस्सा अधिकार समाप्त हो जावेगा एवं प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका अथ में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। विपक्षी द्वारा दिनांक 12.08.2022 को उक्त प्रार्थनला पत्र वर्णित भूमि पर 4–5 लोगो को लाये एवं भूमि पर खेडे खडे भूमि को हस्तान्तरित करने की कह रहे थे व गांव में भी कही लोगो से उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु सम्पर्क कर रहे थे तो प्रार्थी ने विपक्षी एक को पैत्रिक सम्पत्ति खुर्द बुर्द करने से मना किया तो विपक्षी प्रार्थी के साथ विवाद करने लग गये एवं प्रार्थी को धमकी दी कि मै प्रार्थना पत्र वर्णित मेरे नाम दर्ज समस्त भूमियों को खुर्द बुर्द करूगा। व मेरे बाप की जमीन में से तुम लोगो के लिए एक भी टुकडा भूमि शेष नहीं रखूगा। इस प्रकार विपक्षी पुश्तैनी भूमि को खुर्द बुर्द करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित मौजा काटून्दा पटवार हल्का कोटून्दा तहसील बेगूॅ के खाता संख्या 54 में अंकित आराजी संख्या 150,155,158,163,1983/154 कुल किता–5 रकबा 3.75 हैक्टर भूमि खाता संख्या 628 में अंकित आराजी संख्या 1900/986, 977, 979, 987, 988, 990, 991 कुल किता–7 कुल रकबा 0.57 हैक्टर भूमि खाता संख्या 478 में अंकित आराजी संख्या 114/14 कुल रकबा 0.48 हैक्टर भूमि एवं ख्याात संख्या 53 में अंकित आराजी संख्या 978,980,981,984,985,993 कुल किता–6 रकबा 1.42 हैक्टर भूमि एवं खाता संख्या 477 में अंकित आराजी संया 476मी. 477मी कुल किता–2रकबा 0.16 खाता संख्या 63 में अंकित आराजी संख्या 256,854 कुल किता–2 कुल रकबा 0.11 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के निहित हक हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन दान विक्रय आदि से हस्तान्तरित नहीं करें व न करावें एवं प्रार्थी के हक [illegible] भूमि में काश्त कार्य में किसी प्रकार का दखलंदाजी नही करें न करावे और प्रार्थी [illegible] कब्जे काश्त की भूमि पर शातिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें व करावें । एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिती कायम रखावी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:34:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया , विपक्षी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश

...लय द्वारा दिये गये, प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र अ0धा0 ...2 आर.टी.एक्ट पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार ...रते हुए भूमि पैत्रिक भूमि होने से भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा जन्म से ही होने का कथन किया है तथा विपक्षी द्वारा भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द किये जाने हेतु रोके जाने हेतु विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी खाते की नकल जमाबंदी की प्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया , वर्णित कृषि आराजीयात में विपक्षी के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार भी दर्ज अंकित है तथा सभी का हक हिस्सा अंकित होकर वर्णित कृषि आराजीयात अविभाजित आराजीयात है। वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थी का हक हिस्सा कितना है यह तथ्य भी प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है तथा वर्णित कृषि आराजीयात पैत्रिक होने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं किये है।

प्रार्थी का अपने पिता की भूमि के हिस्से में कितने हिस्से पर कब्जा होकर वह काश्त कर रहे है, इस बाबत भी कोई स्वतंत्र साक्ष्य शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं किये गये है। यदि विपक्षी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय किये जाने की बात कृषि आराजीयात पर कही गई है तो प्रार्थी अन्य सहखातेदारान के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करते लेकिन प्रार्थी द्वारा स्वयं अपना ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्य की ताईद में अन्य कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होता है। साथ ही वर्णित कृषि आराजी के कितने हिस्से पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहे है यह कब्जे का तथ्य भी स्पष्ट नहीं होता है, विपक्षी जो कि सभी खाते की कृषि भूमियों में अन्य सहखातेदार के साथ साथ खातेदार दर्ज अंकित है ,ऐसे किसी सहखातेदार को प्रार्थी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से किस आधार पर पाबंद करवाना चाहते है ऐसा कोई ठोस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। जब प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी का नाम अंकित ही नहीं है तथा कितने हिस्से पर कब्जा होने का तथ्य भी स्पष्ट नहीं होता है तो प्रार्थी को किस प्रकार से आर्थिक क्षति होगी यह तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों मुख्य बिन्दुओं को अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में प्रार्थी पूर्ण रूप से असफल रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गयां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:52 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं